संख्या-680 ई-2/तेरह-2010-9/10

प्रेषक,

अतुल कुमार गुप्ता,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 12-4- 2010

विषयः- मिथाइल अल्कोहल से सम्बन्धित उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1921 यथासंशोधित नियमावली, 1994 के प्रभावी कियान्वयन हेतु प्रत्येक जनपद में नोडल समिति गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि विगत समय में प्रदेश में मिथाइल अल्कोहल के पेय मदिरा के रूप में दुरूपयोग के फलस्वरूप जनहानि की कई घटनायें शासन के संज्ञान में आयी हैं। तदनुक्रम में प्रदेश में विषाक्त मदिरा के सेवन से हो रही जनहानि को रोकने तथा मिथाइल अल्कोहल के पेय मदिरा के रूप में दुरूपयोग को समाप्त करने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-572 ई-2/तेरह-2010 दिनांक 18 फरवरी, 2010 तथा शासनादेश संख्या-606 ई-2/तेरह-2010 दिनांक 26 फरवरी, 2010 द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

2. उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1921 यथासंशोधित नियमावली, 1994 में वर्णित प्राविधानों के प्रभावी क्रियान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक जनपद स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय नोडल समिति गठित की जाये, जिसके अन्य सदस्य अपर पुलिस अधीक्षक के स्तर से निम्न न हों तथा सदस्य/संयोजक के रूप में जिला आबकारी अधिकारी हों।

3. उक्त समिति, नियमावली के अधीन अनुज्ञापी के परिसर के निरीक्षण करने के लिये अधिकृत अधिकारियों (मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी (निरीक्षक स्तर से अनिम्न), राजस्व अधिकारी (तहसीलदार स्तर से अनिम्न), चिकित्सा अधिकारी (सहायक शल्य से अनिम्न) आदि के अतिरिक्त आबकारी

विभाग के आबकारी निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी या उद्योग विभाग के उद्योग निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी}, से समन्वय स्थापित करके नियमावली 1921 (यथासंशोधित 1994) के प्राविधानों का प्रभावी अनुपालन व कियान्वयन सुनिश्चित् करायेगी।

4. तदनुसार उपरोक्तानुसार समिति का गठन करते हुए उत्तर प्रदेश प्वायजन्स (रेगुलेशन आफ पजेशन एण्ड सेल) नियमावली, 1921 यथा संशोधित नियमावली, 1994 में वर्णित प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् करने का कष्ट करें, ताकि मिथाइल अल्कोहल के पेय मदिरा के रूप में दुरूपयोग के फलस्वरूप होने वाली जनहानि से सम्बन्धित घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया जा सके।

भवदीय,

(अतुल कुमार गुप्ता)
मुख्य सचिव।

संख्या– 680 (1) ई–2/तेरह–2010 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(नेत राम)
प्रमुख सचिव।